न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, गोण्डा।

उपस्थितः–राजेश कुमार–तृतीय (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण वाद संख्या–908/2020

CNR No.–UPGD0100379972020

राज्य----------अभियोजन पक्ष।

बनाम

राज कपूर उर्फ कपूरे पुत्र स्व० सरजू उम्र 25 वर्ष ,
निवासी–खिरौरा मोहन, थाना–कोतवाली देहात, जनपद–गोण्डा। **--------अभियुक्त।**

मु०अ०सं०–152/2020
धारा–302, 201 भा०दं०सं०
थाना–कोतवाली देहात, जिला–गोण्डा।

निर्णय

1– प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद का विचारण थाना पुलिस कोतवाली देहात मुकदमा अपराध संख्या–152/2020 में अभियुक्त राज कपूर उर्फ कपूरे के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–302, 201 भारतीय दण्ड संहिता के आधार पर किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना पुलिस कोतवाली देहात विवेचक निरीक्षक जितेन्द्र बहादुर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–302, 201 भा०दं०सं० में दिनांक–24.09.2020 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा दिनांक–23.10.2020 को प्रसंज्ञान लिया गया, तदोपरान्त उपरोक्त वाद तत्कालीन न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा दिनांक–05.11.2020 को सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया। यह सत्र परीक्षण वाद इस न्यायालय को माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांकित–31.08.2021 के अनुपालन में इस न्यायालय को दिनांक–10.09.2021 को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ, तदोपरांत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त वाद का विचारण किया गया।

2– अभियोजन कथानक वादिनी मुकदमा की तहरीर का०सं०–4/3 प्रदर्श क–1 के अनुसार इस प्रकार किया गया है कि–*श्रीमान प्रभारी निरीक्षक, थाना–कोतवाली देहात, गोण्डा।*

" निवेदन है कि प्रार्थिनी कमला देवी पत्नी स्व० सरजू ग्राम खिरौरा मोहन थाना–कोतवाली देहात, गोण्डा की रहने वाली हूँ। दिनांक–26.04.2020 को समय करीब 03 बजे दिन में मेरा लड़का तिलकू उम्र 09 वर्ष जो चन्दानी के भट्ठा के

Digitally signed by RAJESH KUMAR
Date: 2026.04.02 15:58:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पास पीपल का पेड़ से कहीं लापता हो गया, जिसका हुलिया गोल चेहरा आँख कान नाक औसत रंग सावला पहनावा काला सर्ट चैक दार हाफ अस्तीन पैंट जिन्स हाफ, पैन्ट नीला रंग गाल पर बांये तरफ तिल का निशान है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेरी गुमसुदगी दर्ज कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। निसानी अंगूठा कमला देवी पत्नी स्व० सरजू, ग्राम खिरौरा मोहन थाना–कोतवाली देहात गोण्डा। दिनांक–27.04.2020"

3– वादिनी मुकदमा की उक्त तहरीर कागज संख्या–4/3, प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना–कोतवाली देहात, जिला–गोण्डा में अज्ञात के विरूद्ध घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–27.04.2020 को मुकदमा अपराध संख्या–152/2020, अन्तर्गत धारा–363 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत हुई। प्रथम सूचना रिपोर्ट पत्रावली पर प्रदर्श क–3 मूल रूप में संलग्न है। इस अभियोग की विवेचना संबंधित थाने की विवेचक द्वारा की गयी, विवेचक द्वारा दौरान विवेचना साक्षीगण के बयान अभिलिखित किये गये, लाश की बरामदगी की गयी व घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया और बाद सम्पूर्ण विवेचना धारा–363 भा०दं०सं० को विलोपित करते हुए धारा–302, 201 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त राज कपूर उर्फ कपूरे का नाम प्रकाश में लाते हुए उसके विरूद्ध **आरोप पत्र** मुकदमा अपराध संख्या–152/2020, अन्तर्गत धारा–302, 201 भारतीय दण्ड संहिता में दिनांक–24.09.2020 को न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा दिनांक–23.10.2020 को प्रसंज्ञान लिया गया।

4– अभियुक्त राज कपूर उर्फ कपूरे के विरूद्ध अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अन्तर्गत धारा–302, 201 भारतीय दण्ड संहिता का प्रथम दृष्टया आधार पाते हुए उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोण्डा द्वारा दिनांक–27.11.2020 को विरचित किये गये। अभियुक्त को आरोप पत्र पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया तथा अभियुक्त द्वारा मामले के विचारण की याचना की गई, तदोपरान्त अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का विचारण किया गया।

5– अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में निम्नलिखित अभियोजन अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं :–

क्रम संख्या	**अभियोजन अभिलेख**	**प्रदर्श**
1.	तहरीर वादिनी मुकदमा	प्रदर्श क–1
2.	शव विच्छेदन आख्या	प्रदर्श क–2
3.	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–3
4.	कायमी जी०डी० मुकदमा	प्रदर्श क–4
5.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–5
6.	नक्शा नजरी घटनास्थल	प्रदर्श क–6
7.	नक्शा नजरी लाश बरामदगी	प्रदर्श क–7

8.	पंचायतनामा	प्रदर्श क–8
9.	थाना आख्या सी०एम०ओ० को	प्रदर्श क–9
10.	थाना आख्या प्रतिसार निरीक्षक को	प्रदर्श क–10
11.	आख्या प्रारूप नं०–13	प्रदर्श क–11
12.	नमूना सील	प्रदर्श क–12
13.	फोटोनाश	प्रदर्श क–13
14.	फर्द बरामदगी खूनालूदा मिट्टी व सादी मिट्टी	प्रदर्श क–14
15.	जी०डी० फर्द	प्रदर्श क–15
16.	गिरफ्तारी प्रपत्र	प्रदर्श क–16
17.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या 1	प्रदर्श क–17
18.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या 2	प्रदर्श क–18

6– अभियोजन द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्न तेरह साक्षीगण प्रस्तुत किए गये हैं, जिन्हें न्यायालय में परीक्षित कराया गया है –

क्रम संख्या	**अभियोजन साक्षी**	**विवरण**
1.	श्रीमती कमला देवी	वादिनी मुकदमा
2.	सोनी	मृतका की बहन
3.	सुनील कुमार	स्वतंत्र साक्षी
4.	डॉ० विकास सेठी	चिकित्सक साक्षी
5.	कां० अजय	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक
6.	जनक लली	स्वतंत्र साक्षी
7.	निरीक्षक जितेन्द्र बहादुर सिंह	विवेचक
8.	उपनिरीक्षक घीसू राम सरोज	प्रथम विवेचक
9.	वंशीलाल	गवाह पंचायतनामा
10.	जोगिन्द्र सोनकर	स्वतंत्र साक्षी
11.	रामबहाल उर्फ बहाले	स्वतंत्र साक्षी
12.	निरीक्षक राजेश कुमार सिंह	विवेचक

13.	निरीक्षक अनिल कुमार सिंह	विवेचक

7– अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, जिनका साक्ष्य परीक्षण निम्न प्रकार हैः –

अभियोजन साक्ष्य परीक्षण

8– अभियोजन साक्षी संख्या–01 श्रीमती कमला देवी वादिनी मुकदमा है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया गया है कि– घटना लगभग सवा साल पहले की है, मेरा लड़का तिलकू जिसकी उम्र 09 वर्ष थी, जो चन्दानी के भट्टा के पास पीपल के पेड़ के पास से कहीं घायल हो गया था, जिसका हुलिया गोल चेहरा आँख, कान, नाक औसत रंग सावला पहनावा काली शर्ट चेकदार, हाफ आसतीन का जिन्स टाय पैन्ट नीला रंग गाल पर बायी तरफ तिल का निशान था, जिसके गायब होने की **सूचना लिखित तहरीर** लिखवाकर मेरे द्वारा अंगूठा लगाकर थाने पर दिया था, संलग्न पत्रावली कागज संख्या–4/3 को देखकर साक्षी ने कहा यह वही तहरीर है, जिस पर मैंने अपना अंगूठा लगाया था, जिस पर **प्रदर्श–क–1** डाला गया। इस संबंध में दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था।

इस स्तर पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जिरह की अनुमति दी गई।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से जिरह करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि गवाह को धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान दिनांकित–27.04.2020 व 18.07.2021 को पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था। दरोगा जी ने कैसे लिख लिया इसकी वजह मैं नहीं बता सकती हूँ। यह गलत है कि मैं मुल्जिम को बचाने के लिए झूंठी गवाही दे रही हूँ। यह कहना भी गलत है कि आज मैं किसी के दबाव में सही बात नहीं बता रही हूँ। यह भी कहना गलत है कि मुल्जिम मेरा सगा लड़का होने के कारण और उसे बचाने के लिए आज झूंठी गवाही दे रही हूँ। मुझे यह मालूम है कि अदालत में झूंठी गवाही देने पर मेरे विरूद्ध भी कार्यवाही हो सकती है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– हाजिर अदालत मुल्जिम राज कपूर उर्फ कपूरे ने मेरे लड़के तिलकू की हत्या नहीं की है। पुलिस वालों ने मुझसे सादे पन्नों पर मेरा अंगूठा लगवाया था। तहरीर के अलावा यदि कहीं मेरा अंगूठा लगा हो तो मैं नहीं बता सकती।

आदेश दिनांक–05.07.2022 के अनुक्रम में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से जिरह करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि मेरा लड़का तिलकू जो गायब हुआ था उसकी लाश मिली थी, जिस दिन खोया था उसके तीसरे दिन लाश बरामद हुई थी, लाश चन्दानी के भट्ठे के पास बगीचे के किनारे मिली थी। मैं मौके पर नहीं गयी थी, लड़के बच्चे गये थे हमें जाने नहीं दिया था। मैंने लाश नहीं देखी थी, मैंने अपने लड़के के गायब होने का मुकदमा लिखाया था। अपने बेटे के खिलाफ नहीं लिखाया था। साक्षी को कागज संख्या–5/32 दिखाया गया, जिस देखकर साक्षी ने कहा कि मेरा अंगूठा सादे कागज पर लगवाया था। मैं लाश बरामदगी पर नहीं गयी थी। मेरा बेटा राज कपूर इसी मुकदमें में

जेल गया था। वह गलत गया था, उसके जेल जाने पर हमने पुलिस अधिकारी से शिकायत की थी। मैं कुछ जानती ही नहीं हुई, मैं आज अकेले आई हूँ। आज पेश थी मैं मुकदमें की पैरवी करने आई हूँ। यह कहना गलत है कि पुलिस ने मेरे सामने लाश बरामदगी की लिखा पढ़ी की थी और मेरा अंगूठा लगवाया था। मैं राज कपूर से जेल में मिलने नहीं गयी हूँ, सामान पहुंचा दिया था। यह कहना गलत है कि मैं अपने बेटे को बचाने के लिए झूंठी गवाही दे रही हूँ। लाश बरामद हुई तब उसके साथ कपूरे थे, पोस्टमार्टम के समय भी कपूरे थे, हमें जानकारी नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद लाश घर पर आई थी। मेरा लड़का कैसे मरा मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे लड़के की हत्या हुई थी। मेरे लड़के ने बताया था कि लाश कटी हुई थी, आंत बाहर निकली थी। यह कहना गलत है कि मेरे बड़े लड़के ने मेरे छोटे को मारा है और मैं अपने बेटे को बचाने के लिए आज सिखाने पढ़ाने से झूंठी गवाही दे रही हूँ। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए पैरवी करने आती हूँ। मेरे बेटे ने मेरे भांजे गोलू को कहा था कि वकील साहब के पास चली जाया करो तो मैं वकील साहब के पास आती हूँ। मेरे दो लड़कियां है, चार लड़के थे अब तीन है। कपूरे सबसे बड़ा है। मेरा लड़का भट्ठे पर खेलने जाता था। यह कहना गलत है कि कपूरे बहुत बदमाश किस्म का था और छोटे बेटे से नाराज होकर उसने हत्या कर दी।

9– <u>अभियोजन साक्षी संख्या–02 सोनी</u> मृतक की बहन है। इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि– <u>घटना आज से लगभग डेढ़ पौने दो साल पहले की है, मेरे राजकपूर, बच्चाराम व सोमनाथ गांव के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने व देखने गये थे। घर पर नहीं थे, घर पर मैं व मेरा छोटा भाई तिलकू घर में थे मेरा छोटा भाई तिलकू घर के बगल में खेल रहा था, मेरी माँ गांव में सामान लेने चली गयी थी, मैं घर में बर्तन मांज कर झाड़ू लगा रही थी, आधे घण्टे के बाद मेरी माँ घर में लौटकर आयी और मेरी माँ मेरे भाई तिलकू को पूछने लगी। काफी ढूढने पर मेरा भाई नहीं मिला जब मेरा भाई नहीं मिला तो उसके दूसरे दिन दर्खवास्त दिये।</u> दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

इस स्तर पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जिरह की अनुमति दी गई।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से जिरह करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि गवाह को धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि मैंने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया था, कैसे लिख लिया इसकी वजह नहीं बता सकती। दरोगा जी ने मेरा एक भी बार बयान नहीं लिया था, दूसरे दिन पीपल के पेड़ के आगे तिलकू की लाश मिली थी या नहीं मुझे नहीं मालूम है। यह कहना गलत है कि किसी के दबाव में आकर आज सही बात न बताकर मुल्जिम को बचा रही हूँ। यह कहना भी गलत है कि मैं अपने सगे भाई को बचाने के लिए झूंठी गवाही दे रही हूँ। मुझे यह मालूम है कि अदालत में झूंठी गवाही देने पर मेरे विरूद्ध भी कार्यवाही हो सकती है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा <u>जिरह</u> करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– मैं आज यह बयान बिना किसी जोर दबाव व लालच में आकर नहीं दे रही हूँ, बल्कि अपने मन से सही बता रही हूँ।

10– <u>अभियोजन साक्षी संख्या–03 सुनील कुमार</u> स्वतंत्र साक्षी है। इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि– घटना आज से लगभग दो साल पहले की है, मैं भट्ठा पर मजदूरी करता हूँ, मैंने घटना को अपनी आँखों से नहीं देखा था मेरे साथ भट्टे पर काम करने वाले दिलीप व राजेश ने मुझे बताया था कि कपूरे अपने भाई को मार रहे थे, सिर्फ मारते हुए देखा था। तिलकू का घर भट्ठे के सामने ही है। दिलीप व राजेश ने

उनको अपने घर के सामने मारते देखा था। तिलकू का शव ब्रहम बाबा के बगल में मिला था। लाश मिलने पर मैं भी वहां पर गया था व शव को देखा था। मैंने ये बाते पुलिस को भी बताई थी इसके अलावा किसी को नहीं बतायी थी। कपूरे को मैं पहले से व्यवहार होने के कारण जानता था।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– दरोगा जी ने मुझसे बयान नहीं लिया था। यह सही है कि मैंने न तो कपूरे को तिलकू को मारते देखा न ही हत्या करते देखा, लोगों के पर आज बता रहा हूँ। घटना की जानकारी राजेश व दिलीप के द्वारा घटना के 20–25 दिन बाद मिली थी। इससे पहले गांव में किसी के गायब होने व हत्या होने की जानकारी मुझे नहीं हुई थी। यह सही है कि आज मैंने जो बयान दिया है वह बयान लोगों के कहने पर दिया है।

11– अभियोजन साक्षी संख्या–04 डॉ० विकास सेठी शव–विच्छेदनकर्ता है इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि– दिनांक–28.04.2020 को मैं उपरोक्त पद व पते पर तैनात था। उसी दिन मेरे द्वारा मृतक तिलकू पुत्र स्व० सरजू प्रसाद निवासी खिरौरा मोहन के शव का पोस्टमार्टम किया गया। मृतक के शव को कां० शिव सहाय वर्मा द्वारा लाया गया था। शव की पहचान उसके भाई राज कपूर द्वारा की गयी थी। मृतक की आयु करीब 09 वर्ष थी मृतक के शरीर की ऊँचाई 114cm व शारीरिक बनावट मध्यम व छरहटी थी। मृतक के शव पर एक शर्ट, एक बनियान व एक सफेद रंग की चैन (धातु की) था। मृतक के शरीर पर मृत्यु पश्चात् अकड़न मौजूद थी, बाये भाग में अकड़न मौजूद नहीं थी। मृतक का शव सड़ने की स्थिति में था। पूरे शरीर पर छोटे–छोटे कीड़े (Maggots) पड़े हुए थे। शव से दुर्गन्ध आ रही थी। मृतक की आँखें व मुंह खुले हुए थे, दाँत 13/13 थे। मृतक के शव पर लिंग मौजूद नहीं था व मल द्वार (Anus) भी मौजूद नहीं था।

मृतक के शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी थी–

*चोट नं० 1– दाहिनी हाथ और उसके मांशपेशियां मिसिंग थे। केवल कंधे पर हड्डी थी, जो गरदन से मांशपेशियों से जुड़ी हुई थी। दाहिनी तरफ के छाती के पीछे वाले भाग पर मांशपेशियां मौजूद नहीं थी, जो कि पीछे से लेकर नीचे तक पेट के भाग (**lower Abdomen**) को लेकर घुटने तक (**Knee Joint**) तक गायब थी, पेट में से अंतड़ियां बाहर आई थी और बायी तरफ की किडनी मौजूद नहीं थी।*

*चोट नं० 2– जहां–जहां पर यह चोट बतायी गयी है वहां पर खाने के निशान (**Nibbling Marks**) मौजूद थे।*

आन्तरिक परीक्षण–

शव के सिर का भाग सड़न की स्थिति में था। सिर के अन्दर की झिल्लियां व झिल्लियों में मौजूद रक्त वाहनियां सब ढीली पड़ चुकी थी, देखने में (Pale) पीली थी। मस्तिष्क ढीला व कन्जेस्टेड था। कण्ठ एवं स्वर ग्रन्धी सब कन्जेस्टेड थे। ग्रीवा के आंतरिक उतकों में हीमेटोमा मौजूद था। **श्वास नली में Left Hoyid बोन टूटी हुई थी, उसमें हीमेटोमा मौजूद था।** श्वास नली एवं वायु प्रणाली प्लूरल कैविटी का वजन 300 ग्राम था, जो कन्जेस्टेड था। हृदय का वजन 120 ग्राम था, जो दाहिनी तरफ आधा भरा हुआ अमाशय में अधपचा भोजन 200 ग्राम मौजूद था। छोटी आँत में Pasty Material व गैस थी, बड़ी आंत

में Fecal Material व गैसेस थी। रंग पीला वजन 800 ग्राम था। प्लीहा 50 ग्राम पीला (Pale) था, जो सड़ने की स्थिति में था। दाहिने भाग की किडनी पीले रंग की 50 ग्राम वजन की थी। मूत्राशय एवं मूत्र वाहिनी में मूत्र मौजूद नहीं था, जननांग मौजूद नहीं था।

मेरी राय में मृतक की मृत्यु को लगभग तीन दिन हो चुके थे। **मृत्यु का तात्कालिक कारण गला घोटने के कारण दम घुटने से (Asphyxia due to Anti Mortem Throttling) था।** मृतका का शव का पोस्टमार्टम समय 03.30 पी०एम० से शुरू कर 04.10 पी०एम० तक किया था। **पोस्टमार्टम रिपोर्ट** पत्रावली में शामिल कागज संख्या–5/21 व 5/22 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श–क–2** डाला गया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम मेरे साथ डॉ० पुनीत कुमार श्रीवास्तव आई सर्जन जिला अस्पताल गोण्डा द्वारा किया गया था। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– मृतक की मृत्यु करीब तीन दिन पहले हो गयी थी।

प्रश्न– कौन सी ऐसी चोट पाई, जिससे हत्या होना सम्भव हो?

उत्तर– उसकी हायड बोन टूटी थी, साथ में हेमोटोमा था, हायड बोन तभी टूटेगी जब उसको दबाया जाये।

ट्रैक्टर से टकराने या किसी चीज से दबने पर दूसरी चोट ही आयेगी। हायड बोन सिर्फ दबाने से ही टूटेगी हाथ से या किसी चीज से दबाया जाये गला तभी टूटेगी। पहिये के नीचे आने पर क्रश इंजरी आयेगी। मृतक के क्रश इंजरी नहीं थी, आंखें साकेट से बाहर नहीं थी, आँखे और मुंह खुला था। निबलिगं (nibbling) का मतलब किसी जानवर ने शायद शव को खाया होगा। Rigor Mortis मृत्यु के बाद 4–6 घण्टे में आना शुरू होती है, 24 घण्टे में Rigor Mortis उतर जाता है। शव सड़न की हालत में था, बहुत साफ पहचानने में नहीं आ रहा था। चेहरे पर कोई चोट के निशान नहीं थे। लिगेचर मार्क नहीं था, सड़न की हालत में लिगेचर मार्क नहीं दिखेगा। गले पर पीछे रीड़ की हड्डी मौजूद थी उसको खोला नहीं था। स्पाईनल कार्ड सुरक्षित थी। स्पाईनल कार्ड दबाने से नहीं टूटेगा जब तक उस पर प्रहार न किया जाए।

प्रश्न– आपने अधपचा खाना लिखा है वह कितनी देर पहले का खाया हो सकता है?

उत्तर– मरने से 4–6 घण्टे पहले का हो सकता है।

शरीर के साथ भोजन सड़ता है पर यह पता चल जाता है कि अधपचा है क्योंकि उसमें भोजन के कण होते है उनके साइज से पता चलता है। अमाशय या तो उसमें भोजन ही होगा। अगर जानवर पकड़कर गर्दन से खींचे तो हायड बोन टूट सकता है, पर दबाने पर टूटा होने आदि खीचने पर टूटा होने में अंतर होगा। गले के अगल बगल हमें हेमोटोमा मिला था पंक्चर वुंड (Puncture Wound) नहीं मिला था। चेहरे पर अगर जानवर के खाने या नौचने के निशान होते तो मैंने लिखा होता।

प्रश्न– क्या यह संभव है कि पूरे शरीर पर नौचने की निशान हो और चेहरे पर न हो।

उत्तर– चेहरे पर नहीं थे अब यह नहीं बताया जा सकता कि जानवर या जिसने बी यह नौचने के निशान बनाये उसने किस प्रकार बनाये।

जब भी कोई Suspicious Case होता है तो उसमें दूसरे डाक्टर की भी काल ड्यूटी लगती है, उनका सहयोग यह होता है कि दोनों की सहमति से रिपोर्ट तैयार होती है, दूसरे डाक्टर के इस पर साईन

है। यह कहना गलत है कि हमने लापरवाही से पोस्टमार्टम किया। यह कहना गलत है कि हमने एफ०आई०आर० के अनुसार पुलिस के कहने के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की है।

12– <u>अभियोजन साक्षी संख्या–05 कां० अजय</u> <u>प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक है।</u> इस साक्षी ने अपने बयान में सशपथ कथन किया है कि– दिनांक–27.04.2020 को मैं थाना–कोतवाली देहात में सी०सी०टी०एन०एस० के पद पर तैनात था उस दिन वादिनी कमला देवी पत्नी सरजू निवासी खिरौरा मोहन, थाना–कोतवाली देहात, गोण्डा द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार मैंने कम्प्यूटर पर मु०अ०सं०–152/2020, अन्तर्गत धारा–363 भा०दं०सं० विरूद्ध अज्ञात, थाना–कोतवाली देहात, गोण्डा की चिक एफ०आई०आर० टाइप किया गया। चिक किता करने के बाद तहरीर के पुष्ट पर मुकदमें का विवरण अंकित कर अपना हस्ताक्षर बनाया था तथा एफ०आई०आर० की प्रति वादिनी को देकर उसका निशानी अंगूठा बनवाया था। **चिक एफ०आई०आर०** पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–4/1 व 4/2 है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श–क–3** डाला गया। उक्त वाद की **कायमी रपट** नं०–38 दिनांकित–27.04.2020 समय 13.20 बजे कम्प्यूटर पर मेरा द्वारा टाइप की गयी थी, जो पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5/6 है, जिस पर **प्रदर्श–क–4** डाला गया। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा <u>जिरह</u> करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– तहरीर वादिनी ने दिया था गुमशुदगी के रिपोर्ट दर्ज करने हेतु दिया था। अज्ञात के विरूद्ध दिया था। थाने पर मेरे पास वादिनी अकेली आयी थी। थानाध्यक्ष ने मुझे मौखिक रूप से एफ०आई०आर० दर्ज करने का आदेश दिया था। तहरीर लिखाकर कही से लाई थी, मेरे सामने नहीं दिया था, तहरीर पर निशानी अंगूठा लगा हुआ था। घटना की सत्यता के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैंने केवल तहरीर से एफ०आई०आर० दर्ज किया है। यह कहना गलत है कि मैंने थानाध्यक्ष के दबाव में आकर झूंठा मुकदमा पंजीकृत किया हो।

13– <u>अभियोजन साक्षी संख्या–06 श्रीमती जनक लली</u> स्वतंत्र साक्षी है इस साक्षी ने अपने बयान में सशपथ कथन किया है कि– मृतक तिलकू मेरे गांव के थे, जो मेरे गांव के सरूज खटिक का छोटा बेटा था, तिलकू आज से करीब ढाई साल पहले गायब हो गया था, जिस दिन को गायब हुआ था उस दिन मैं अपने पति की दवा इलाज कराने डॉ० परमानन्द गुप्ता के यहां गयी थी, शाम 04 बजे करीब मैं लौटी तो यह पता चला कि तिलकू 02 बजे दिन में गायब हो गया है, गायब होने के तीसरे दिन तिलकू की लाश मेरे बगिया के पास पड़ी मिली थी जब सुबह गांव के लोग व मैं शौच के लिए निकले थे तो हमी लोगों ने तिलकू की लाश मेरे बगिया के पास झाड़ी में मिली थी, जिसे जानवर खींचकर बाहर लाये थे। लाश पन्नी में थी, पन्नी से बाहर खींच लाये थे, जब पुलिस वाले लाश की लिखा पढ़ी करके पोस्टमार्टम के लिए ले गये, पुलिस वालों ने गांव वालों व मुझसे बुलाकर पूछतांछ की थी, लेकिन हम लोगों ने तिलकू को मारते हुए नहीं देखा था। मेरे लड़के व पट्टीदार के दो लड़को को पुलिस ले गयी थी। आठ दिन तक थाने पर रखा था व मारा पीटा था, मेरे गांव के ओम प्रकाश उपाध्याय, शिव उपाध्याय, सुभाष शुक्ला ने बताया था कि जिस दिन तिलकू गायब हुआ था उस दिन राज कपूर उर्फ कपूरे तिलकू को मारते पीटते बगिया की ओर ले गया था। **हम उपरोक्त गांव के लोगों के बताने पर मुझे जानकारी हुई। राजकपूर हमेशा नशे में रहता था और आये दिन लड़ाई झगड़ा करता था और अपने घर वालों को मारा पीटा करता था। दरोगा जी ने मुझसे भी पूछतांछ किया था।**

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– जो बातें मैंने बयान में बताया है वहीं बयान मैंने पुलिस वालों को भी बताया था कि ओम प्रकाश, सुभाष आदि लोगों के नाम मैंने बताया था और दरोगा जी ने यह सारी बात मेरे सामने लिखा था यह सब लिखा वही मेरे सामने कलम से की गयी थी। मेरे घर से बाग करीब 05 या 06 बिगहा दूरी पर है, मैं पांच या छः बिगहा दूरी पर रोज शौच के लिए जाती हूँ, जिस समय मैं शौच के लिए अपने बाग के पास गयी थी और वहां तिलकू की लाश देखी थी उस समय वहां राजकपूर नहीं था न ही मैंने देखा था और न ही मैं राजकपूर को लाश फेंकते ही देखा था। ओम प्रकाश उपाध्याय मेरे मेली मदद्गार है और वो प्रधानी के चुनाव भी लड़े है मुझे यह नहीं मालूम है कि राजकपूर ओम प्रकाश उपाध्याय का विरोध करते थे। यह कहना सही है कि गांव वाले ओमप्रकाश, सुभाष व अन्य लोगों के बताने पर मैंने राजकूपर का नाम बताया। यह कहना गलत है कि मैं अपने लड़के व परिवार के लोगों के बाचने के लिए झूंठी गवाही दे रही हूँ। यह कहना गलत है कि मैं ओम प्रकाश उपाध्याय के कहने पर गवाही देने आयी हूँ। मैं आज सम्मन पर गवाही देने आयी हूँ।

14– अभियोजन साक्षी संख्या–07 निरीक्षक जितेन्द्र बहादुर सिंह मुकदमा विवेचक है इस साक्षी ने अपने बयान में सशपथ कथन किया है कि– दिनांक–21.08.2020 को मैं कोतवाली देहात में बतौर प्रभारी निरीक्षक तैनात था उस दिन अ०सं०–152/2020, अन्तर्गत धारा–302, 201 भा०दं०सं०, थाना–कोतवाली देहात की विवेचना पूर्व विवेचक अनिल सिंह से ग्रहण की थी। दिनांक–21.08.2020 को पर्चा नं०–33 में विवेचना ग्रहण की है। पर्चा नं०–34 दिनांक–26.08.2020 को मेरे द्वारा पूर्व पर्चों का अवलोकन किया गया। पर्चा नं०–35 दिनांक–03.09.2020 को किता किया गया, जिसमें अभियुक्त राजकपूर उर्फ कपूरे के रिमाण्ड की अंकना किया गया। पर्चा नं०–36 दिनांकित–24.09.2020 को किता किया गया, जिसमें पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर विकास सेट्ठी व डॉ० प्रेम कुमार श्रीवास्तव का बयान अंकित किया गया तथा अभियुक्त राजकूपर उर्फ कपूरे के विरूद्ध तमामी विवेचना व पूर्व पर्चों के अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त राजकूपर उर्फ कपूरे के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र दिनांक–24.09.2020 को प्रेषित किया गया। **आरोप पत्र** पत्रावली में शामिल कागज संख्या–5/1 लगायत 5/3 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श–क–5** डाला गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– थाना–कोतवाली देहात में मेरा तैनाती 2020 में हुई थी तारीख याद नहीं है। इससे पहले मैं थाना–कटरा बाजार मं तैनात था। इस मुकदमें की विवेचना मुझे दिनांक–21.08.2020 को मिली थी। उससे पहले इस मुकदमें की विवेचना एस०आई० अनिल कुमार सिंह द्वारा का जी रही थी। अनिल कुमार एस०आई० द्वारा इस मुकदमें में पर्चा 32 तक काटा गया था, कुल 32 पर्चे सी०डी० के कटे थे। अनिल कुमार एस०आई० द्वारा 32 पर्चें सी०डी० के काटे गये थे। मेरे द्वारा पूर्व में की गयी विवेचना में किसी भी साक्षी का बयान नहीं लिया गया था। मेरे द्वारा घटनास्थल की नक्शा नजरी नहीं बनाया गया था। मैं घटनास्थल पर गया था। मैंने कुल कितने पर्चें सी०डी० के काटे थे याद नहीं है। मेरे द्वारा प्रथम रिमाण्ड नहीं लिया गया था। मैंने इस मुकदमें में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र पूर्व विवेवचक द्वारा की गयी विवेचना व गवाहान बयानात के आधार पर प्रेषित किया था। इस मुकदमें की विवेचना मेरे द्वारा दिनांक–04.09.2020 को समाप्त की गयी थी। उसके बाद मैंने दिनांक–04.09.2020 को ही सी०ओ० साहब के यहां दाखिल की गयी थी। यह कहना गलत है

कि मैंने इस मुकदमें की विवेचना न की हो तथा किसी का बयान नहीं लिया हो तथा गलत विवेचना के आधार पर गलत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया है।

15– <u>अभियोजन साक्षी संख्या–08 उपनिरीक्षक घीसू राम सरोज</u> <u>पंचनामाकर्ता/प्रथम विवेचक</u> है। इस साक्षी ने अपने बयान में सशपथ कथन किया है कि– दिनांक–27.04.2020 को मैं थाना कोतवाली देहात में उप–निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मेरे द्वारा मु०अ०सं०–152/2020, अन्तर्गत धारा–363 भा०दं०सं० विरूद्ध अज्ञात थाना–कोतवाली देहात की विवेचना ग्रहणकर उसी दिन नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ०आई०आर० लेखक, बयान वादिनी व वादिनी की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया। वादिनी के लड़के तिलकू की तलाश की गयी, जिसकी अंकना पर्चा नं०–1 में किया गया। **नक्शा नजरी** पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5/7 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श–क–6** डाला गया। दिनांक–28.04.2020 को वादिनी तथा उसके परिजनों द्वारा सूचना दी गयी कि गुमशुदा तिलकू का शव विकास विक्र फील्ड के पश्चिम में पड़ा है, सूचना पर मैं अपने हमराही के साथ मौके पर पहुंचा जहां वादिनी की निशादेही पर शव मिलने वाले स्थान का निरीक्षण किया तथा **नक्शा नजरी** तैयार किया जो पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5/8 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श–क–7** डाला गया तथा मौके पर ही पांच पंचान नियुक्त कर मृतक तिलकू आयु करीब 09 वर्ष पुत्र स्व० सरजू प्रसाद निवासी खिरौरा मोहन थाना–कोतवाली देहात गोण्डा के शव का पंचायतनामा की कार्यवाही प्रारम्भ की। मृतक का शव पेट के बल झाड़ी में पड़ा हुआ था, जिसका सर पूरब पैर पश्चिम, बांया हाथ मुड़ा हुआ है तथा दाहिना हाथ ऊपरी हिस्सा नहीं था। मृतक का रंग सांवला इकहरा बदन नाक, कान, कद औसत था। मृतक के शरीर पर हल्की लाल बनियान फटी हुई काली शर्ट मौजूद थी। मृतक के शरीर पर दाहिनी हाथ नहीं था तथा बायें हाथ के कन्धे पर घाव व पेट की नाबी से लेकर दोनों पैर के घुटने से नीचे तक केवल हड्डी थी, मांस नहीं था। पीठ की हड्डी दिख रही थी, पेट से आंते बाहर निकली हुई थी। शव छत विछत हालत में था, मैंने पंचानों की राय लेकर अपनी भी राय अंकित की थी, किन्तु मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव को सील सर्व मुहर कर पोस्टमार्टम हेतु मृत्यु का सही कारण जानने के लिए समस्त पुलिस प्रपत्र भरकर कां० शिव सहाय वर्मा के सुपुर्दगी में पी०एम०हेतु भेजा गया था। **पंचायतनामा** पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5/12, **चिट्ठी सी०एम०ओ०** 5/13, **चिट्ठी आर०आई०** 5/14, **चालान लाश** 5/15, **नमूना मोहर** 5/16 व **फोटो नाश** कागज संख्या–5/17 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श–क–8, प्रदर्श–क–9, प्रदर्श–क–10, प्रदर्श–क–11, प्रदर्श–क–12, प्रदर्श–क–13** डाला गया। मौके से ही मृतक तिलकू के शव मिलने वाले स्थान से खूनालूदा मिट्टी व सादी मिट्टी एकत्र कर अलग–अलग प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर सील सर्व मुहर कर मेरे द्वारा फर्द बनाकर संबंधित के अलामात बनवाये थे। **फर्द** पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5/32 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसको मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श–क–14** डाला गया। फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पर पड़े बांस व घासने के पट्टी पर जिस पर रक्त लगे हुए थे कि चिट बन्दी की गयी थी। मुकदमें के मृतक का शव मिलने के उपरान्त ही धारा–363 भा०दं०सं० का विलोपन करते हुए धारा–364, 302, 201 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी, जिसकी अंकना जी०डी०–60 दिनांक–28.04.2020 समय 21:52 बजे पर दर्ज की गयी थी, जो पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5/9 है,

जिसको मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर **प्रदर्श–क–15** डाला गया। अग्रेतर विवेचना नियमानुसार प्रभारी निरीक्षक द्वारा सम्पादित की जाएगी, जिसकी अंकना पर्चा नं०–2 में किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– मेरे द्वारा मृतक का पंचनामा करया गया था, पंचनामा पत्रावली पर संलग्न है, पंचनामें पर मेरे हस्ताक्षर है। मृतक तिलकू पुत्र सरजू प्रसाद था। मृतक का पंचनामा घटना के तुरन्त बाद कराया गया था। पंचनामा के समय मेरे साथ कां० शिव सहाय वर्मा तथा थाने का पूरा स्टाफ मौजूद था। मृतक का पंचनामा कराते समय पांच लोगों के हस्ताक्षर बनवाये थे। राजकपूरे, मृतक का भाई है उसके भी हस्ताक्षर बनावाये थे। मृतक की मृत्यु कैसे हुए यह किसी ने नहीं बताया था। मृतक की मृत्यु का कारण जानने के लिए पी०एम० कराये जाने हेतु राय ली गयी थी। उसके उपरान्त हमने शव का पंचनामा तैयार करके सील मोहर करके पोस्टमार्टम हेतु कां० शिव सहाय वर्मा व अन्य कां० का नाम पता नहीं, सुपुर्द किया था। वाहन छोटा हाथी था। वाहन का नाम व नम्बर मुझे याद नहीं है। मृतक के भाई व परिजनों द्वारा सूचना मिली थी कि मृतक का शव ईंट भट्टे के पश्चिम छोटी–छोटी झाड़ियों में पड़ा था। ईंट ब्रिक्स फील्ड के नाम से भट्ठा था, भट्ठा मालिक का नाम याद नहीं है। पंचनामें पर हमराह पुलिस कर्मचारीगण के हस्ताक्षर भी थे। पंचनामें के समय बहुत लोग मौजूद थे, सभी का नाम याद नहीं है। मृतक तिलकू के शरीर का मांस अलग हो गया था। यह कहना गलत है कि पंचनामें के समय कोई पुलिस हमराह कर्मचारी न रहा हो। जब शव मिला था तो मृतक टी शर्ट व बनियान पहने थे, रंग ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि पंचनामें की कार्यवाही थाने पर की गयी हो।

16– <u>अभियोजन साक्षी संख्या–09 वंशीलाल</u> स्वतंत्र साक्षी है इस साक्षी ने अपने बयान में सशपथ कथन किया है कि– घटना दिनांक–26.04.2020 की है। उस दिन कमला देवी का लड़का तिलकू जो लगभग नौ वर्ष का था, खेलते हुए कहीं लापता हो गया था। तीन दिन के बाद उसका पंचनामा हुआ था। भीड़ लगी हुई थी, पुलिस वाले पंचनामा कर रहे थे। पुलिस वालों ने पंचनामा की कार्यवाही करते हुए लिखा पढ़ी की थी, जिस पर मुझसे निशानी अंगूठा लगवाया था। पंचानामा कागज संख्या–5/12 संलग्र पत्रावली है, जिस पर बने अपने निशानी अंगूठा को देखकर गवाह ने तस्दीक किया, जिस पर पूर्व से प्रदर्श क–8 पड़ा हुआ है। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– जिस दिन की घटना है उस दिन मैं मैच खेल रहा था। जिस दिन की घटना है उस दिन मेरे साथ राज कपूरे उर्फ कपूरे व नान बाबू व बहुत से लोग मैच खेल रहे थे। गांव में काफी भीड़ लगी थी और पंचनामा हो रहा था। दरोगा जी ने मुझसे किस कागज पर अंगूठा लगवाया था मुझे मालूम नहीं है। यह पंचनामा किसका हो रहा था मुझे कोई जानकारी नहीं है। दरोगा जी ने इस मुकदमें में मेरा कोई बयान नहीं लिया था। इस घटना में राज कपूर उर्फ कपूरे को अभियुक्त फर्जी बनाये हैं। यह सही है कि दरोगा जी के कहने पर मैंने निशानी अंगूठा लगा दिया था और मुझे नहीं मालूम है कि किसका पंचनामा हो रहा है और घटना क्या है।

17– <u>अभियोजन साक्षी संख्या–10 जोगेन्द्र सोनकर</u> स्वतंत्र साक्षी है इस साक्षी ने अपने बयान में सशपथ कथन किया है कि– मृतक तिलकू मेरे गांव का रहने वाला था। घटना लगभग चार साल पहले की है, गर्मी का महीना था। उस समय उसकी उम्र लगभग नौ वर्ष की थी, **तिलकू चार भाई थे, सबसे बड़े भाई का नाम राजकपूर है, दूसरे भाई का नाम बच्चाराम है और तीसरे का नाम सोमनाथ है। राज कपूर अपने परिवार वालों को मारता पीटता था, जो भी हाथ में आता था उससे भी मार पीट देता**

था। मेरा घर कपूरे के घर से तीन चार सौ मीटर दूर है। हम लोग गांव में किसी के घर से बोल चाल नहीं है। जिस दिन तिलकू गायब हुआ था मैं दूसरे के खेत में गेहूं दवाने गया था फिर शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने सुना कि बच्चा तिलकू कहीं गायब हो गया था तथा उसके घर वाले व गांव वाले ढूढने का प्रयास किये थे तथा तीसरे दिन बगिया में उसकी लाश मिली थी। गांव के किसी व्यक्ति ने अपने खेत के बगल में बगीचे में लाश को देखा था उसी के द्वारा बताया गया था। पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– घटना कि महीने की है मुझे जानकारी नहीं है, जिस समय की घटना है उस समय मैं भजन कीर्तन करता था और मंदिर पर रहता था। मंदिर गांव के बाहर खिरौरा गुमटी पर क्रासिंग के पास स्थित है। तिलकू की हत्या वाली जो घटना है उस समय मैं मौके पर नहीं था मैं मंदिर के बाबा के खेत की देखभाल कर रहा था। मैंने कभी भी राजकपूर को अपने भाईयों को मारते पीटते नहीं देखा था। घटना के समय मैं खेत में दूसरे का गेहूँ दवा रहा था। मैं घर से 11 बजे निकल गया था और शाम 06 बजे तक वापस आ गया था। मेरा गांव में बोलचाल नहीं है। दरोगा जी मेरा बयान लेने नहीं आये थे। यह कहना गलत है कि गांव वालों के कहने पर दरोगा जी ने मेरा बयान लिख लिया था और आज मैं झूंठी गवाही देने आया हूँ।

18– अभियोजन साक्षी संख्या–11 राम बहाल उर्फ बहाले स्वतंत्र साक्षी है। इस साक्षी ने अपने बयान में सशपथ कथन किया है कि– घटना लगभग चार साल पहले गर्मी महीने की है राज कपूर का छोटा भाई तिलकू गायब हो गया था दूसरे दिन उसकी लाश बाग की मोढ में मिली थी मैंने तथा गांव के तमाम लोगों ने लाश को बांस के मोढ़ में देखा था। मैं राजकपूरे के गांव का रहने वाला हूँ उसके भाई को किसने मारा मुझे जानकारी नहीं है। मैंने कपूरे को मारते हुए नहीं देखा है। राजकपूर अपने घर वालों को मारता पीटता है कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं मजदूरी करने चला जाता था। दरोगा जी मुझे पूछतांछ नहीं किया था।

इस स्तर पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जिरह की अनुमति दी गई।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से जिरह करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि मेरा व राजकपूरे का घऱ थोड़ी दूर पर है। मेरा राज कपूरे के घर से आना जाना है, उसके भाई को किसने मारा उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। यह कहना गलत है कि मेरे गांव का लड़का राजकपूर है इसलिए उसे मैं बचा रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मैं राजनीतिक दबाव में आक सही बात नहीं बता रहा हूँ।

19– अभियोजन साक्षी संख्या–12 निरीक्षक राजेश कुमार सिंह मुकदमा विवेचक है इस साक्षी ने अपने बयान में सशपथ कथन किया है कि– दिनांक–29.04.2020 को मैं प्रभारी निरीक्षक, थाना–कोतवाली देहात, के पद पर तैनात था उस दिन मैंने मु०अ०सं०–152/2020, अन्तर्गत धारा–364, 302, 201 भा०दं०सं० विरूद्ध अज्ञात थाना–कोतवाली देहात की विवेचना ग्रहण कर पूर्व किता किये गये पर्चों का अवलोकन किया तथा गवाह राजकूपर उर्फ कपूरे व सोनी, बच्चाराम तथा सोमनाथ का बयान लेकर उसकी अंकना सी०डी०–3 में किया। दिनांक–01.05.2020 को मृतक तिलकू की पंचायतनामा व पी०एम० रिपोर्ट प्राप्त कर उसका अवलोकन करके उसकी अंकना सी०डी०–5 में किया। दिनांक–02.05.2020 को पंचायतनामा के गवाहान का बयान लेकर उसकी अंकना सी०डी०–6 में किया।

दिनांक–04.05.2020 को पंचायतनामाकर्ता एस०आई० घीसू राम सरोज का बयान लेकर उसकी अंकना सी०डी०–8 में किया।

20– **अभियोजन साक्षी संख्या–13 निरीक्षक अनिल कुमार सिंह** मुकदमा विवेचक है। इस साक्षी ने अपने बयान में सशपथ कथन किया है कि– दिनांक–09.05.2020 को मुझे प्राप्त हुई थी। इससे पहले इस मुकदमें की विवेचना निरीक्षक राजेश कुमार सिंह द्वारा की जा रही थी। दिनांक–09.05.2020 को मैंने सी०डी०–11 में विवेचना ग्रहण करने की अंकना की। दिनांक–12.05.2020 को पूर्व किता किये गये पर्चों का अवलोकन किया तथा चार मोबाइल नम्बरों की कॉल डिटेल को संलग्न सीडी किया, जिसकी अंकना सी०डी०–12 में किया। दिनांक–15.05.2020 को गाँव के व्यक्तियों से वार्तालाप की गई, किन्तु कोई जानकारी न मिल सकी, जिसकी अंकना सीडी०–13 में की। सी०डी० नं०–14 भी घटना के अनावरण के प्रयास से सम्बन्धित है। सी०डी० नं०–15, 16, 17, 18, 19, 20 व 21 घटना के अनावरण हेतु प्रयास से सम्बन्धित पर्चे हैं। दिनांक–13.07.2020 को स्वतंत्र गवाह हरिश चन्द्र उर्फ बबलू कोरी व जनकलली का बयान लिया, जिसकी अंकना सी०डी०–22 में की। दिनांक–18.07.2020 को वादिनी व उसके भाई राजकपूर उर्फ कपूरे का बयान लिया, जिसकी अंकना सी०डी०–23 में की। दिनांक–19.07.2020 को गवाह जोगिन्दर सोनकर का मजीद बयान लिया, जिसकी अकना सी०डी०–24 में की। दिनांक–20.07.2020 को गवाह राजू का मजीद बयान लिया जिसकी अंकना सी०डी०–25 में की। दिनांक–22.07.2020 को गवाह रामबहाल उर्फ बहाले का मजीद बयान लिया तथा स्वतंत्र गवाह वीरेन्द्र कुमार मिश्रा का बयान लिया, जिसकी अंकना सी०डी०–26 में की। दिनांक–23.07.2020 को वादिनी के घर पहुँचकर मृतक की बहन सोनी का मजीद बयान लिया, जिसकी अंकना सी०डी०–27 में की। **दिनांक–26.07.2020 को वादिनी के घर पहुँचकर राजकपूर उर्फ कपूरे को हिकमत अमली व सख्ती से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने भाई तिलकू की हत्या करना स्वीकार किया। तत्पश्चात अभियुक्त का बयान लेकर उसे साथ ले जाकर मृतक तिलकू के शव को छुपाने वाले स्थान का नक्शा नजरी तैयार किया गया** तथा अब तक की विवेचना में प्राप्त साक्षों के आधार पर धारा–364 भा०दं०सं० का अपराध होना न पाये जाने पर मुकदमें को धारा–302, 201 भा०दं०सं० में तरमीम किया गया तथा अभियुक्त राजकपूर उर्फ कपूरे को उसके किये गये अपराध का कारण बताकर समय 1:45 बजे हिरासत में लेकर गिरफ्तारी मेमों तैयार किया गया तथा अभियुक्त को माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर उसका रिमाण्ड प्राप्त किया। **गिरफ्तारी मेमो** पत्रावली में संलग्न का०सं०–5/26 है, जिस पर लिखी इबारत व जिस पर बने हस्ताक्षर को मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–16** डाला गया है। उक्त की अंकना सी०डी०नं०–28 में की। दिनांक–31.07.2020 को स्वतंत्र गवाह सुनील कुमार का बयान लिया, जिसकी अंकना सी०डी०–29 में की। सी०डी० नं०–30 रिमाण्ड से सम्बन्धित है। सी०डी० नं०–31 में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त पावती का अवलोकन किया। दिनांक–16.08.2020 को स्वतंत्र गवाह रामसजन व मुकेश कुमार का बयान लिया, जिसकी अंकना सी०डी०नं०–32 में की। अग्रिम विवेचना मेरा स्थानान्तरण हो जाने के कारण नवागन्तुक विवेचक द्वारा की गई।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– इस मुकदमें की विवेचना मुझे निरीक्षक राजेश सिंह के स्थानान्तरण होने के उपरान्त दिनांक–09.05.2020 को मिली थी। मुझे विवेचना मिलने के पहले पूर्व के विवेचक द्वारा सी०डी० सं०–10 तक किता किया गया था। मेरे

द्वारा पर्चा सं०–11 से पर्चा संख्या–31 तक काटे गये थे। पर्चा–11 में विवेचना ग्रहण की गई थी। स्वतंत्र गवाहों का बयान पर्चा नं०–22 व उसके बाद के पर्चों में लिया गया है। धारा पर्चा नं०–28 में दिनांक 26.07.2020 को धारा तरमीम की गई थी। मुझे यह याद नहीं है कि मेरे द्वारा कितने साक्षियों के बयान किन–किन पर्चों में लिये गये हैं। समस्त साक्षियों के बयान के आधार पर मुकदमे में धारा तरमीम की गई थी। मुझे याद नहीं है कि मैंने अभियुक्त राजकपूर की गिरफ्तारी कब की थी और उसकी अंकना किस पर्चे में की थी। पर्चा सं०–29 फिर कहा पर्चा नं०–30 में अभियुक्त के रिमाण्ड की अंकना की गई थी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से सम्बन्धित अंकना पर्चा संख्या–31 में की गई है। यह कहना गलत है कि इस मुकदमें के विवेचना मेरे द्वारा मात्र थाने पर बैठकर की गई है। यह भी कहना गलत है कि पूर्व के विवेचक द्वारा लिये गये बयानों के आधार पर ही मेरे द्वारा मुकदमें की धारा तरमीम की गई है।

21– अभियोजन की ओर से उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अभियोजन की याचना पर अभियोजन का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया। अभियुक्त के बयान दिनांक–13.03.2026 को अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अभिलिखित किये गये, जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत व झूंठा रंजिशन होना कहा गया है और कथन किया है कि– मैं निर्दोष हूँ, मुकदमा झूंठा व रंजिशन है।

22– उभयपक्ष की याचना पर उभयपक्ष का साक्ष्य अवसर समाप्त किया गया और प्रस्तुत दण्ड वाद बहस हेतु नियत किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस की गई।

बहस–विश्लेषण

23– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के विरूद्ध यह मुकदमा रंजिशन दर्ज कराया गया है, अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं कराया गया है न ही अभियुक्त को मौके पर देखा गया है। अभियुक्त को मारते हुए किसी ने नहीं देखा है, कोई बरामदगी आलाकत्ल की नहीं है। अभियोजन के सभी गवाहान पक्षद्रोही है, उन्होंने घटना का कोई समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त का नाम किसी भी साक्षी ने अपने बयान में नहीं लिया है, मृतक अभियुक्त का छोटा भाई था। अतः अभियुक्त अपने सगे भाई की हत्या नहीं कर सकता। मृतक की चिकित्सा आख्या व शव विच्छेदन आख्या में किसी जानवर के काटे जाने के कारण चोटें आयी है, जिस कारण मृतक की मृत्यु हो गयी है। अभियुक्त का भाई घर से लापता हो गया था, अभियुक्त द्वारा कोई मारपीट नहीं की गयी है न ही किसी ने उसे मारपीट करते हुए देखा है, गवाहों के बयान में घोर विरोधाभाष है, मात्र औपचारिक गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं माना जा सकता। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

खण्डन में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना दिनांक–26.04.2020 की है। मृतक के बड़े भाई अभियुक्त द्वारा मारपीट करके गला दबाकर हत्या कारित की है और अभियुक्त का शव क्षत–विक्षत अवस्था में झाड़ियों के पास पाया गया है। अभियुक्त का आचरण घऱ में हिंसात्मक प्रवृति का रहा है। अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और आये दिन घर में मारपीट करता रहता था। मृतक की पंचायतनामा व शव विच्छेदन आख्या गला घोंटकर मृत्यु होना पाया गया है तथा गर्दन की हाइड बोन टूटी हुई पायी गयी है। यह तथ्य सभी गवाहों ने स्वीकार किया है कि मृतक घर से लापता हुआ और उसकी लाश जंगल में पायी गयी, अभियुक्त मृतक का बड़ा भाई है और उसको घटना के सभी तथ्य ज्ञात है और उसी ने अपने छोटें भाई की पैसे मांगने के कारण गला दबाकर हत्या की है और

उसके उपरान्त शव को पन्नी में डालकर झाड़ी में फेंक दिया है। शव विच्छेदन आख्या में अभियुक्त को बहुत गम्भीर चोटें आयी है, मृतक का हाथ शरीर से अलग किया गया है और पेट पर कोई मांस नहीं पाया गया है। विवेचक द्वारा घटना के सभी तथ्यों के प्रकाश में साक्ष्य संकलन करके अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है, जो कि न्यायालय में साबित कराया गया है। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य साबित होता है, गवाहों के बयानों में विरोधाभाष होने के कारण अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक कठोर दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

24– उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि यह मुकदमा मृतक का माता वादिनी की तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध दर्ज कराया गया है। वादिनी जो कि मृतक की सगी माता है ने अपनी तहरीर में यह कथन किया है कि "*दिनांक–26.04.2020 को समय करीब 03 बजे दिन में मेरा लड़का तिलकू उम्र 09 वर्ष जो चन्दानी के भट्ठा के पास पीपल का पेड़ से कहीं लापता हो गया, जिसका हुलिया गोल चेहरा आँख कान नाक औसत रंग सावला पहनावा काला सर्ट चैक दार हाफ अस्तीन पैंट जिन्स हाफ, पैन्ट नीला रंग गाल पर बांये तरफ तिल का निशान है।*"

25– साक्षी पी०डब्लू०–1 ने अपने बयान में यह कथन किया है कि घटना लगभग सवा साल पहले की है, मेरा लड़का तिलकू जिसकी उम्र 09 वर्ष थी, जो चन्दानी के भट्ठा के पास पीपल के पेड़ के पास से कहीं घायल हो गया था, जिसका हुलिया गोल चेहरा आँख, कान, नाक औसत रंग सावला पहनावा काली शर्ट चेकदार, हाफ आसतीन का जिन्स टाय पैन्ट नीला रंग गाल पर बायी तरफ तिल का निशान था, जिसके गायब होने की **सूचना लिखित तहरीर** लिखवाकर मेरे द्वारा अंगूठा लगाकर थाने पर दिया था।

इस साक्षी ने जिरह में यह कथन किया है कि हाजिर अदालत मुल्जिम राज कपूर उर्फ कपूरे ने मेरे लड़के तिलकू की हत्या नहीं की है। पुलिस वालों ने मुझसे सादे पन्नों पर मेरा अंगूठा लगवाया था। तहरीर के अलावा यदि कहीं मेरा अंगूठा लगा हो तो मैं नहीं बता सकती।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि मेरा लड़का तिलकू जो गायब हुआ था उसकी लाश मिली थी, जिस दिन खोया था उसके तीसरे दिन लाश बरामद हुई थी, लाश चन्दानी के भट्ठे के पास बगीचे के किनारे मिली थी। मैं मौके पर नहीं गयी थी, लड़के बच्चे गये थे हमें जाने नहीं दिया था। मैंने लाश नहीं देखी थी, मैंने अपने लड़के के गायब होने का मुकदमा लिखाया था। अपने बेटे के खिलाफ नहीं लिखाया था। साक्षी को कागज संख्या–5/32 दिखाया गया, जिस देखकर साक्षी ने कहा कि मेरा अंगूठा सादे कागज पर लगवाया था। मैं लाश बरामदगी पर नहीं गयी थी। मेरा बेटा राज कपूर इसी मुकदमें में जेल गया था। वह गलत गया था, उसके जेल जाने पर हमने पुलिस अधिकारी से शिकायत की थी।

इस प्रकार यह साक्षी मृतक की सगी माता है और इस साक्षी ने अपने बयानों में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसका लड़का घटना के दिन घर से गायब हुआ है और उसकी लाश पास के जंगल में मिली है और अभियुक्त भी वादिनी का ही पुत्र है। अतः घटना के सभी तथ्य अभियुक्त और मृतक की माता को ज्ञात है। मृतक का घर से गायब हो जाना, जबकि अभियुक्त घटनास्थल पर उपस्थित रहता है और उसके उपरान्त उसकी लाश मिलने के समय भी उपस्थित रहता है और उसी की निशानदेही पर लाश की बरामदगी होती है।

खण्डन में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को चोट पहुंचाते हुए किसी ने नहीं देखा है, लाश बरामदगी के समय अभियुक्त का उपस्थित होना दोषसिद्धी का आधार नहीं हो सकता।

यह तर्क तथ्यों और परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह साबित करता है कि अभियुक्त की उपस्थिति घटना से लेकर लाश बरामदगी तक लगातार है। अभियुक्त को अपने घर की सम्पूर्ण जानकारी है, यदि कोई अन्य व्यक्ति घटना कारित करता तो अभियुक्त के संज्ञान में होता और अभियुक्त द्वारा उसका नाम पुलिस को अथवा न्यायालय में बताना चाहिए था। इस बिन्दु पर अभियुक्त मौन रहता है। अतः मामलें में परिस्थितियां यह साबित करती है कि अभियुक्त घटना में संलिप्त रहा है।

26– साक्षी पी०डब्लू०–2 ने अपने बयान में यह कथन किया है कि घटना आज से लगभग डेढ़ पौने दो साल पहले की है, मेरे राजकपूर, बच्चाराम व सोमनाथ गांव के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने व देखने गये थे। घर पर नहीं थे, घर पर मैं व मेरा छोटा भाई तिलकू घर में थे मेरा छोटा भाई तिलकू घर के बगल में खेल रहा था, मेरी माँ गांव में सामान लेने चली गयी थी, मैं घर में बर्तन मांज कर झाड़ू लगा रही थी, आधे घण्टे के बाद मेरी माँ घर में लौटकर आयी और मेरी माँ मेरे भाई तिलकू को पूछने लगी। काफी ढूढने पर मेरा भाई नहीं मिला जब मेरा भाई नहीं मिला तो उसके दूसरे दिन दर्खवास्त दिये।

इस साक्षी ने जिरह में घटना का कोई समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर साक्षी ने कथन किया है कि दरोगा जी ने मेरा एक भी बार बयान नहीं लिया था, दूसरे दिन पीपल के पेड़ के आगे तिलकू की लाश मिली थी या नहीं मुझे नहीं मालूम है। यह कहना गलत है कि किसी के दबाव में आकर आज सही बात न बताकर मुल्जिम को बचा रही हूँ। यह कहना भी गलत है कि मैं अपने सगे भाई को बचाने के लिए झूंठी गवाही दे रही हूँ।

इस प्रकार यह साक्षी मृतक की सगी बहन है और यह साक्षी भी मृतक के परिवार की सदस्य है और घटना के समय उपस्थित रही है। घटना घटित हुई है इस तथ्य को उक्त साक्षी के बयान से बल मिलता है।

27– साक्षी पी०डब्लू०–3 ने अपने बयान में यह कथन किया है कि घटना आज से लगभग दो साल पहले की है, मैं भट्टा पर मजदूरी करता हूँ, मैंने घटना को अपनी आँखों से नहीं देखा था मेरे साथ भट्टे पर काम करने वाले दिलीप व राजेश ने मुझे बताया था कि कपूरे अपने भाई को मार रहे थे, सिर्फ मारते हुए देखा था। तिलकू का घर भट्ठे के सामने ही है। दिलीप व राजेश ने उनको अपने घर के सामने मारते देखा था। तिलकू का शव ब्रहम बाबा के बगल में मिला था। लाश मिलने पर मैं भी वहां पर गया था व शव को देखा था। मैंने ये बाते पुलिस को भी बताई थी इसके अलावा किसी को नहीं बतायी थी। कपूरे को मैं पहले से व्यवहार होने के कारण जानता था।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– दरोगा जी ने मुझसे बयान नहीं लिया था। यह सही है कि मैंने न तो कपूरे को तिलकू को मारते देखा न ही हत्या करते देखा, लोगों के पर आज बता रहा हूँ। घटना की जानकारी राजेश व दिलीप के द्वारा घटना के 20–25 दिन बाद मिली थी। इससे पहले गांव में किसी के गायब होने व हत्या होने की जानकारी मुझे नहीं हुई थी। यह सही है कि आज मैंने जो बयान दिया है वह बयान लोगों के कहने पर दिया है।

28– साक्षी पी०डब्लू०–6 ने अपने बयान में यह कथन किया है कि मृतक तिलकू मेरे गांव के थे, जो मेरे गांव के सरूज खटिक का छोटा बेटा था, तिलकू आज से करीब ढाई साल पहले गायब हो गया था, जिस

दिन को गायब हुआ था उस दिन मैं अपने पति की दवा इलाज कराने डॉ० परमानन्द गुप्ता के यहां गयी थी, शाम 04 बजे करीब मैं लौटी तो यह पता चला कि तिलकू 02 बजे दिन में गायब हो गया है, गायब होने के तीसरे दिन तिलकू की लाश मेरे बगिया के पास पड़ी मिली थी जब सुबह गांव के लोग व मैं शौच के लिए निकले थे तो हमी लोगों ने तिलकू की लाश मेरे बगिया के पास झाड़ी में मिली थी, जिसे जानवर खींचकर बाहर लाये थे। लाश पन्नी में थी, पन्नी से बाहर खींच लाये थे, जब पुलिस वाले लाश की लिखा पढ़ी करके पोस्टमार्टम के लिए ले गये, पुलिस वालों ने गांव वालों व मुझसे बुलाकर पूछतांछ की थी, लेकिन हम लोगों ने तिलकू को मारते हुए नहीं देखा था। हम उपरोक्त गांव के लोगों के बताने पर मुझे जानकारी हुई। राजकपूर हमेशा नशे में रहता था और आये दिन लड़ाई झगड़ा करता था और अपने घर वालों को मारा पीटा करता था। दरोगा जी ने मुझसे भी पूछतांछ किया था।

साक्षी पी०डब्लू०–10 ने अपने बयान में यह कथन किया है कि मृतक तिलकू मेरे गांव का रहने वाला था। घटना लगभग चार साल पहले की है, गर्मी का महीना था। उस समय उसकी उम्र लगभग नौ वर्ष की थी, **तिलकू चार भाई थे, सबसे बड़े भाई का नाम राजकपूर है, दूसरे भाई का नाम बच्चाराम है और तीसरे का नाम सोमनाथ है। राज कपूर अपने परिवार वालों को मारता पीटता था, जो भी हाथ में आता था उससे भी मार पीट देता था। मेरा घर कपूरे के घर से तीन चार सौ मीटर दूर है। हम लोग गांव में किसी के घर से बोल चाल नहीं है। जिस दिन तिलकू गायब हुआ था मैं दूसरे के खेत में गेहूं दवाने गया था फिर शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने सुना कि बच्चा तिलकू कहीं गायब हो गया था** तथा उसके घर वाले व गांव वाले ढूढने का प्रयास किये थे तथा तीसरे दिन बगिया में उसकी लाश मिली थी। गांव के किसी व्यक्ति ने अपने खेत के बगल में बगीचे में लाश को देखा था उसी के द्वारा बताया गया था। पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था।

इस प्रकार अभियोजन के उपरोक्त साक्षीगण ने अपने बयान में यह कथन किया है कि मृतक, जो अभियुक्त का छोटा भाई है, की हत्या अभियुक्त की उपस्थिति में की गयी है इससे यह स्थापित होता है कि अभियुक्त अपने घर का मुख्य सदस्य है और मृतक उसका छोटा भाई था। सब घटना क्रम में अभियुक्त उपस्थित रहता है अभियुक्त को घटना की पूर्ण जानकारी थी। अतः अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति घटना में संलिप्त नहीं है।

तथ्य एवं परिस्थितियाँ
(Fact And Circumstances)

29– प्रस्तुत मामलें में घटना दिनांक–26.04.2020 शाम की है और अभियुक्त के परिवार में अभियुक्त और उसके भाई–बहन एवं माँ रहते है। घटना की रिपोर्ट थाने पर दिनांक–27.04.2020 को दर्ज की गयी है और दिनांक–26.07.2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है यदि अभियुक्त के भाई की हत्या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गयी थी तो अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और इतने लम्बे समय अन्तराल के उपरान्त भी अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रकाश में नहीं आया है। इससे यह स्थापित होता है कि इस प्रकरण की परिस्थितियां एवं प्रकृति यह दर्शित करती है कि अभियुक्त ही घटना का वास्तविक अभियुक्त है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य यह स्पष्ट करता है कि अभियुक्त की कथित अपराध में संलिप्तता साबित होती है और अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य और कोई व्यक्ति हत्या करने में शामिल नहीं था।

इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं चिकित्सीय साक्ष्य के विश्लेषण से यह साबित होता है कि मामले के तथ्य एवं परिस्थितियां इस प्रकृति एवं प्रवृत्ति की है कि अभियुक्त मृतक का बड़ा भाई है और घटना के सभी तथ्य अभियुक्त के संज्ञान में है और मृतक का हत्यारा अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य और कोई नहीं है।

अभियुक्त का आचरण

(Conduct of Accused)

30– प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त घटना के उपरान्त दिनांक–26.07.2020 को पुलिस द्वारा मृतक की लाश बरामदगी के बाद ही गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त अपने परिवार में मुख्य सदस्य है और उसका कोई मुख्य व्यवसाय नहीं था, केवल वह अपने परिवार के साथ मजदूरी का कार्य करता था और सभी परिवार के सदस्यों के साथ रहता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त को अपने भाई, बहन व माँ के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी थी।

31– साक्षी पी०डब्लू०–2 सोनी जो कि मृतक की बहन है, ने न्यायालय के समक्ष बयान किया है कि– घटना आज से लगभग डेढ़ पौने दो साल पहले की है, मेरे राजकपूर, बच्चाराम व सोमनाथ गांव के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने व देखने गये थे। घर पर नहीं थे, **घर पर मैं व मेरा छोटा भाई तिलकू घर में थे,** मेरा छोटा भाई तिलकू घर के बगल में खेल रहा था, मेरी माँ गांव में सामान लेने चली गयी थी, मैं घर में बर्तन मांज कर झाडू लगा रही थी, आधे घण्टे के बाद मेरी माँ घर में लौटकर आयी और मेरी माँ मेरे भाई तिलकू को पूछने लगी। काफी ढूढने पर मेरा भाई नहीं मिला जब मेरा भाई नहीं मिला तो उसके दूसरे दिन दख्वास्त दिया था।

32– साक्षी पी०डब्लू०–10 ने न्यायालय के समक्ष बयान में यह कथन किया है कि "**तिलकू चार भाई थे, सबसे बड़े भाई का नाम राजकपूर है, दूसरे भाई का नाम बच्चाराम है और तीसरे का नाम सोमनाथ है। राज कपूर अपने परिवार वालों को मारता पीटता था, जो भी हाथ में आता था उससे भी मार पीट देता था। मेरा घर कपूरे के घर से तीन चार सौ मीटर दूर है। हम लोग गांव में किसी के घर से बोल चाल नहीं है। जिस दिन तिलकू गायब हुआ था मैं दूसरे के खेत में गेहूं दवाने गया था फिर शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने सुना कि बच्चा तिलकू कहीं गायब हो गया था** तथा उसके घर वाले व गांव वाले ढूढने का प्रयास किये थे तथा तीसरे दिन बगिया में उसकी लाश मिली थी।"

33– विवेचक द्वारा दौरान विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया है कि **अभियुक्त कपूरे का व्यवहार अपने परिवार में बहुत क्रूर प्रकृति का था। सी०डी० में मृतक की बहन सोनी जो मृतक के अंतिम समय तक साथ थी, ने भी यह कथन किया है कि अभियुक्त मेरे भाई कपूरे ने ही तिलकू (मृतक) को मारा है और वह हम लोगों को बहुत मारते–पीटते थे।**

साक्षी जोगिन्दर का भी सी०डी० में यह कथन अंकित किया गया है कि **घटना कोई बाहरी व्यक्ति नहीं किया है। घटना राजकपूरे ने ही की है। कपूरे अपने परिवार को बहुत ही बुरी तरह मारता था।**

इस प्रकार अभियुक्त अपने परिवार में हिंसात्मक व क्रूरतापूर्वक व्यवहार करता था और घटना के दिन भी उसने अपने भाई (मृतक) को क्रोधवश गला घोंटकर हत्या की है, जैसा कि मृतक की शव–विच्छेदन आख्या में दर्शित किया गया है। अतः अभियुक्त का आचरण भी यह साबित करता है कि अभियुक्त

का व्यवहार क्रूरतापूर्ण रहा है और अभियुक्त ही कारित घटना/हत्या का दोषी है। खण्डन में अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अंतिम दृश्य का सिद्धान्त

(Last Seen Theory)

34– अंतिम बार देखे जाने का सिद्धान्त धारा–7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एक मुख्य सिद्धान्त है, जिसके अन्तर्गत यह साबित करना होता है कि मृतक मृत्यु से ठीक पूर्व किस व्यक्ति के साथ देखा गया अथवा किस व्यक्ति से वार्ता हुई थी, यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला की एक अति महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रस्तुत प्रकरण में एक ही परिवार में मृतक अपने बड़े भाई, बहन एवं माता के साथ रहता था और मृतक की आयु लगभग नौ वर्ष थी। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्यों एवं मौखिक साक्ष्य एवं मृतक की चिकित्सा आख्या का गहनता से विश्लेषण करने से यह प्रकट होता है कि घटना के दिन मृतक को अभियुक्त के साथ देखा गया था। इस संबंध में मृतक की बहन का साक्ष्य महत्वपूर्ण है, यद्यपि मृतक की बहन अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित की गयी है, किन्तु गवाहों के पक्षद्रोही होने के आधार पर मामलें की परिस्थितियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। घटनास्थल से मृतक का शव क्षत विक्षत अवस्था में पाया गया है और घटनास्थल से मृतक के पहने हुए कपड़े तथा घटना में प्रयुक्त पन्नी (प्लास्टिक की चादर) व खूना आलूदा मिट्टी रक्त रंजित अवस्था में बरामद की गयी है, चूंकि अभियुक्त भट्टे पर कार्य करता था और वहां पन्नी प्रयोग की जाती थी, जो कि घटनास्थल से बरामद की गयी है। इस संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या भी सुसंगत साक्ष्य है। इस संबंध में अभियुक्त की ओर से खण्डन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

35– पत्रावली पर उपलब्ध शव विच्छेदन आख्या और शव पंचायतनामा के अवलोकन से यह विदित होता है कि मृतक के शरीर पर पंचायतनामा और शव विच्छेदन आख्या में मृत्यु पूर्व निम्न चोटें पायी गयी है, जिनका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है–

पंचायतनामा

36– मृतक का पंचायतनामा पत्रावली पर प्रदर्श–क–8 मूल रूप में संलग्न है, जिसमें मृतक के शव की दशा व चोटें निम्न प्रकार की दर्शित की गयी है–

मृतक तिलकू पुत्र स्व० सरजू प्रसाद उम्र 09 वर्ष निवासी खिरौरा मोहन, थाना–कोतवाली देहात, जिला–गोण्डा

दशा शवः–

हम पंचों के साथ शव का परीक्षण किया गया तो शव पेट की तरफ नीचे करके शव झाड़ी में पड़ा हुआ था, जिसका सिर पूरब दिशा व पैर पश्चिम की तरफ तथा बांया हाथ मुड़ा हुआ तथा दाहिनी हाथ नहीं है, दोनों हाथ घास में जमीन पर पड़ा हुआ है।

हुलिया शवः–

रंग सावला इकहरा बदन नाक, कान, कद औसत।

पहनावाः–

अन्दर बनियान हल्का लाल रंग व शर्ट काला कटा हुआ काल रंगा का शर्ट पहने हुए है।

चोट का निशानः–

शव का दाहिना हाथ नहीं है तथा बांये हाथ के कन्धों से मोटी बाजू पर घाव लगा है और पेट की नाभी से लेकर दोनों पैर के घुटने के नीचे तक केवल हड्डी है, मांस नहीं है। पीठ की हड्डी दिख रही है, पेट से आंत बाहर निकली है, शव छित विक्षत दशा में है।

उप निरीक्षक घीसू राम सरोज थाना–कोतवाली देहात,
जनपद–गोण्डा दिनांकित–28.04.2020

शव–विच्छेदन आख्या

मृतक की शव विच्छेदन आख्या पत्रावली पर प्रदर्श–क–2 मूल रूप में उपलब्ध है, जिसमें मृतक के शरीर पर मृत्यु से पूर्व निम्न चोटें दर्शित की गयी है–

चोट नं० 1– ***दाहिनी हाथ और उसके मांशपेशियां मिसिंग थे। केवल कंधे पर हड्डी थी, जो गरदन से मांशपेशियों से जुड़ी हुई थी। दाहिनी तरफ के छाती के पीछे वाले भाग पर मांशपेशियां मौजूद नहीं थी, जो कि पीछे से लेकर नीचे तक पेट के भाग (lower Abdomen) को लेकर घुटने तक (Knee Joint) तक गायब थी, पेट में से अंतड़ियां बाहर आई थी और बायी तरफ की किडनी मौजूद नहीं थी।***

चोट नं० 2– ***जहां–जहां पर यह चोट बतायी गयी है वहां पर खाने के निशान (Nibbling Marks) मौजूद थे।***

मृत्यु का कारण व समय

शव विच्छेदन आख्या दिनांकित–28.04.2020 में मृतक तिलकू आयु 09 वर्ष का मृत्यु समय लगभग तीन दिन पूर्व दशित किया गया है तथा *मृत्यु का कारण मृत्यु से पूर्व गला दबाया जाकर दम घुटने से होना दर्शित किया गया है।*
मृतक की श्वास नली के पास बांयी हाइड बोन टूटी हुई पायी गयी, जिसमें Fractured With Hematoma पाया गया।**

फर्द बरामदगी खूनालूदा मिट्टी व सादी मिट्टी

पत्रावली पर प्रदर्श–क–14 फर्द बरामदगी खूनालूदा मिट्टी व सादी मिट्टी, मूल रूप में उपलब्ध है, जो कि निम्न प्रकार है–

"दिनांक–28.04.2020 को मुझ उप निरीक्षक घीसू राम सरोज द्वारा मृतक तिलकू पुत्र स्व० सरजू प्रसाद के लाश (शव) जहां पड़ा था, के पास से खून आलूद मिट्टी, सादी मिट्टी वादिनी मुकदमा श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व० सरजू प्रसाद के समक्ष अलग–अलग लेकर दो प्लास्टिक के डिब्बे को

अलग–अलग सीलकर सर्व मोहर नमूना तैयार किया गया। फर्द लेने कब्जे खून आलूद मिट्टी व सादी मिट्टी लेकर व मौके पर लिखकर, पढ़कर सुनाकर गवाही हेतु अलामात बनवाये जा रहे हैं।"

उप निरीक्षक धीसू राम सरोज थाना–कोतवाली देहात, गोण्डा दिनांकित–28.04.2020

<u>विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परिणाम आख्या–1</u>

विधि विज्ञान प्रयोगशाला की खूलालूद मिट्टी व सादी मिट्टी की रिपोर्ट पत्रावली पर मूल रूप में संलग्न है, जिसमें खूनालूदा मिट्टी व सादी मिट्टी को परीक्षण हेतु भेजा गया है, जिसका परिणाम सकारात्मक रूप में पाया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

<u>सील का विवरण</u>

एक समुद्रित लिफाफा,जिस पर "विधि विज्ञान प्रयोगशाला सीरो लखनऊ" की छाप अक्षत थी।

<u>प्रदर्शों का विवरण</u>

1–*प्रदर्श Q–1 से चिन्हित रक्तरंजित (तथाकथित) मिट्टी (अग्रेषण पत्र के क्रमांक "1" पर वर्णित) लिफाफा से प्राप्त।*

2–प्रदर्श S–1 से चिन्हित सादी मिट्टी (अग्रेषण पत्र के क्रमांक "2" पर वर्णित) लिफाफा से प्राप्त।

<u>परीक्षण परिणाम</u>

उपर्युक्त प्रदर्शों का परीक्षण वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया गया। परीक्षणोपरान्त.....

रक्तरंजित (तथाकथित) मिट्टी चिन्हित प्रदर्श Q–1 एवं सादी मिट्टी चिन्हित प्रदर्श S–1 अपने भौतिकीय गुणों (रंग, प्रकृति, कण साइज, घनत्व, प्रदीप्तन आदि) के सापेक्ष आपस में समानता दर्शाती है।

वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी दिनांकित–02.04.2022

<u>विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परिणाम आख्या–2</u>

विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पत्रावली पर मूल रूप में संलग्न है, जिसमें **खूनालूदा मिट्टी व सादी मिट्टी, हाफ पैंट, पन्नी व घास फूस व पत्तियाँ आदि** को परीक्षण हेतु भेजा गया है, जिसका परिणाम सकारात्मक रूप में पाया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

<u>सील का विवरण</u>

चार वस्त्रावृत समुद्रित बंडल जिन पर (Signature मुद्रानमूनानुसार) की छाप अक्षत थी।

<u>प्रदर्शों का विवरण</u>

1–*मिट्टी मय खर–खूनालूदा*	*।एक सर्वमुहर मूल बंडल से। (मृतक से)*
2–मिट्टी मय खर–सादी	*।एक सर्वमुहर मूल बंडल से।*
3–हाफ पैंट	***।एक सर्वमुहर मूल बंडल से। (मृतक से)***
4–पन्नी	***।एक सर्वमुहर मूल बंडल से।***
5–घास फूस व पत्तियाँ आदि	***।***

<u>परीक्षण परिणाम</u>

वस्तु (1) से (4) के बड़े भागों पर रक्त पाया गया।

रक्त के लिए बेंजिडीन प्रयोग पाजिटिव पाया गया तथा स्पेक्ट्रमीय परीक्षण द्वारा रक्त की पुष्टि की गयी।

वस्तु (3) व (4) पर मानव रक्त पाया गया।

वस्तु (1) व (2) पर रक्त वियोजित (डिसइन्टीग्रेटेड) पाया गया। अतः मूल निर्धारण न हो सका।

रक्त का मूल निर्धारण जेल प्रसरण विधि द्वारा किया गया।

वैज्ञानिक अधिकारी सीरो अनुभाग दिनांकित–08.02.2023

37– इस प्रकार अभियोजन के उपरोक्त चिकित्सा अभिलेखों को चिकित्सक द्वारा न्यायालय में साबित कराया गया है, खण्डन में अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभियोजन अभिलेख पंचायतनामा, फोटोनाश लाश, शव विच्छेदन आख्या व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट जो मृतक के चिकित्सा परीक्षण के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य है। उक्त समस्त अभिलेख अभियोजन कथानक को साबित करते है, गवाहों के पक्षद्रोही होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन के तथ्यों पर नहीं पड़ता है। खण्डन में अभियुक्त की ओर से इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

38– यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। किसी भी मामलें में परिस्थितिजन्य साक्ष्य इस प्रकार का अप्रत्यक्ष साक्ष्य होता है, जहां मामलें की परिस्थितियां यह साबित करती है कि वाद के तथ्य एवं प्रकृति इस प्रकार की है कि अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य और कोई व्यक्ति घटना में संलिप्त नहीं है। अभियोजन साक्ष्य की ग्रह्यता एवं मूल्यांकन को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न विधि व्यवस्थाओं में निम्न प्रकार अवधारित किया गया है–

39– <u>सरवन नरायन तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य</u> <u>2025(6) **ADJ** 683 (**DB**) **मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद**</u>– के वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य की विश्वसनीयता के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा किया गया अभियुक्त की दोषसिद्धी का निर्णय न्यायोचित माना और धारा–106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत तथ्यों को साबित मानते हुए परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रंखला पूर्ण पायी गई। विचारण न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्त की दोषसिद्धी के विरूद्ध अभियुक्त द्वारा की गई अपील माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई और निम्नलिखित वादों को उद्धरत करते हुए यह अवधारित किया गया है कि–*Before proceeding further, it would be appropriate to take note of judgment of Krishna Mochi and others v. State of Bihar, (2002) 6 SCC 81, wherein Hon'ble Apex Court in paragraph 32 has held as under:*

> *32. Thus, in a criminal trial a Prosecutor is faced with so many odds. The Court while appreciating the evidence should not lose sight of these realities of life and can-not afford to take an unrealistic approach by sitting in an ivory tower. I find that in recent times the tendency to acquit an accused easily is galloping fast. It is very easy to pass an order of acquittal on the basis of minor points raised in the case by a short judgment so as to achieve the yard*

stick of disposal. Some discrepancy is bound to be there in each and every case which should not weigh with the Court so long it does not materially affect the prosecution case. In case discrepancies pointed out are in the realm of pebbles, the Court should tread upon it, but if the same are boulders, the Court should not make an attempt to jump over the same. These days when crime is looming large and humanity is suffering and the society is so much affected thereby, duties and responsi-bilities of the Courts have become much more. Now the maxim ***"let hundred guilty persons be acquitted, but not a single inno-cent be convicted" is, in practice, changing the world over and Courts have been com-pelled to accept that "society suffers by wrong convictions and it equally suffers by wrong acquittals"****, I find that this Court in recent times has conscientiously taken notice of these facts from time to time. In the case Inder Singh v. State (Delhi Admn.) [(1978) 4 SCC 161: 1978 SCC (Cri) 564: AIR 1978 SC 1091] Krishna Iyer, J. laid down that: (SCC p. 162, para 2) "Proof beyond reason-able doubt is a guideline, not a fetish and guilty man cannot get away with it because truth suffers some infirmity when projected through human processes."* ***In the case of State of U.P. v. Anil Singh [1988 Supp SCC 686 1989 SCC (Cri) 48 AIR 1988 SC 1998] it was held that a Judge does not pre-side over a criminal trial merely to see that no innocent man is punished. A Judge also presides to see that a guilty man does not escape.*** *One is as important as the other Both are public duties which the Judge has to per-form In the case of State of WB v. Orilal Jaiswal [(1994) 1 SCC 73 1994 SCC (Cri) 107] it was held that justice cannot be made sterile on the plea that it is better to let a hundred guilty escape than punish an innocent Letting the guilty escape is not doing jus tice, according to law. In the case of Mohan Singh v. State of M.P. [(1999) 2 SCC 428: 1999 SCC (Cri) 261: (1999) 1 SCR 276] it was held that the Courts have been removing* ***chaff from the grain****. It has to disperse the suspicious cloud and dust out the smear of dust as all these things clog the very truth. So long chaff, cloud and dust remain, the criminals are clothed with this protective layer to receive the benefit of doubt. So it is a solemn duty of the Courts, not to merely conclude and leave the case the moment suspicions are created. It is the onerous duty of the Court, within permissible limit to find out the truth. It means, on one hand no innocent man should be punished but on the other hand to see no person committing an offence should get scotfree. If in spite of such effort suspicion is not*

dissolved, it remains writ at large, benefit of doubt has to be credited to the accused."

18. It would also be appropriate to quote paragraphs 153, 154, 159, 163, 164 and 165 of landmark judgement of Hon'ble Apex Court rendered in ***Sharad Birdichand Sarada, (1984) 4 SCC 116****.*

This judgment has been relied on in Jose.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही साक्ष्य का मूल्यांकन एवं विश्वसनीयता का निर्धारण करते हुए निम्न विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में यह अवधारित किया गया है कि–

It is settled legal proposition that the evidence of a prosecution witness cannot be rejected in toto merely because the prosecution chose to treat him as hostile and cross-examined him*. The evidence of such witnesses cannot be treated as effaced or washed off the record altogether but the same can be accepted to the extent their version is found to be dependable on a careful scrutiny thereof.'*

In the case of State of U.P. v. Ramesh Prasad Misra, [(1996) 10 SCC 360] -

Hon'ble Court held that the evidence of a ***hostile witness would not be totally rejected if spoken in favour of the prosecution or the accused but required to be subjected to close scrutiny and that portion of the evidence which is consistent with the case of the prosecution or defence can be relied upon.*** *A similar view has been reiterated by this Court in Balu Sonba Shinde v. State of Maharashtra, (2002) 7 SCC 543], Gagan Kanojia v. State of Punjab, (2006) 13 SCC 516], Radha Mohan Singh v. State of U.P., (2006) 2 SCC 450], Sarvesh Narain Shukla v. Daroga Singh, (2007) 13 SCC 360] and Subbu Singh v. State, (2009) 6 SCC 462.*

Thus, the law can be summarised to the effect that the ***evidence of a hostile witness cannot be discarded as a whole, and relevant parts thereof which are admissible in law, can be used by the prosecution or the defence.***

उपरोक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए यह भी अवधारित किया गया है कि–

It is well-settled principle of law that only because the witnesses are not independent ones may not be itself be a ground to discard the prosecution case. If the prosecution case has been supported by the witnesses and no cogent reason has been shown to discredit their statements, a judgment of conviction can certainly be cased there upon.

There is no hard and fast rule that family members can never be true witnesses to the occurrence and that they will always depose falsely before the Court. It will always depend upon the facts and circumstances of a given case. In the case of Jayabalan v. U.T. of Pondicherry [(2011) 1 SCC 199], this Court had occasion to consider whether the evidence of interested witnesses can be relied upon. The Court took the view that a pedantic approach cannot be applied while dealing with the evidence of an interested witness. Such evidence cannot be ignored or thrown out solely because it comes from a person closely related to the victim.

40– प्रस्तुत मामला सम्पूर्णतया परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, जिसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित सिद्वांत प्रसिद्ध निर्णित विधि व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शरद बिरधीचन्द शारदा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (1984) 4 SCC 116 के प्रसिद्ध वाद में परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Circumstantial evidence)** सिद्ध करने के लिए पांच **स्वर्णिम सिद्धांत (Golden rule) (पंचशील)** निर्धारित किये गये हैं। अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धी के लिए यह आवश्यक है कि–

01– जिन परिस्थितियों में अभियुक्त के विरुद्ध कारित अपराध का निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूरी तरह स्थापित किया जाना चाहिए।

02– अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन कथानक को स्थापित किये जाने वाले तथ्य केवल अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की परिकल्पना अनुरुप होने चाहिए अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की किसी अन्य परिकल्पना (Hypothesis) पर स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए और अभियुक्त को केवल परिकल्पना के आधार पर दोषी नहीं माना चाहिए।

03– वाद की परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

04– अभियुक्त के विरुद्ध किसी मामले को सिद्ध करने की परिकल्पना (Hypothesis) को छोड़कर हर संभव परिकल्ना को बाहर करना चाहिए।

*05– साक्ष्य की श्रृंखला **(Chain of Evidence)** इतनी सशक्त और पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त के निर्दोष होने के अनुसार निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न रहा हो और यह प्रकट होता हो कि सभी मानवीय संभावनाओं में वह कार्य जिसके लिए अभियुक्त आरोपी है, अभियुक्त द्वारा ही किया गया है।*

अर्थात् यदि उपरोक्त पांच नियमों के अन्तर्गत मामला नहीं आता या सिद्ध नहीं हो पाता तो अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए, किन्तु यदि मामलें के तथ्य एवं प्रकृति यह साबित करते है कि वाद की परिस्थितियां निर्णायक प्रवृत्ति की है और किसी भी परिकल्पना से बाहर है तो अभियुक्त की दोषसिद्धी न्यायोचित होगी।

41– अवधेश कुमार अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2016 Cr. Appeal No–164 of 2010 माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ के वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए यह अवधारित किया है

कि *"वाद के तथ्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सम्पूर्ण साक्ष्य श्रृंखला वहां तक साबित होती है, जहां तक कि चिकित्सा आख्या गम्भीर अपराध प्रकट करती है। गवाहों की विश्वसनीयता अभियोजन कथानक का मुख्य आधार होती है केवल गवाहों के घटना न देखे जाने के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धी से इन्कार नहीं किया जा सकता"* माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय सही पाते हुए अभियुक्त की दोषसिद्धी को सही पाया गया और अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गयी।

42– **नरेन्द्र बनाम हरियाणा राज्य 2026 Cr.L.J. 752 AIROnline 2025 P & H 1257** के वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हत्या के मामलें में परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए यह अवधारित किया है कि घटनाओं की साक्ष्य श्रृंखला इतनी सुसंगत और निर्णायक होनी चाहिए, जिससे यह सिद्ध हो सके कि मानवीय सम्भावना के अनुसार अपराध आरोपी द्वारा ही किया गया होगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **शरद बिरधीचन्द्र शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1984 S.C. 1622** तथा **धर्मदेव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 05 S.C.C. 509** को उद्धरित करते हुए यह अवधारित किया गया है कि घटनास्थल से बरामद खून के धब्बे व सामान, कपड़े तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या को साक्ष्य की ग्रह्यता से इन्कार नहीं किया जा सकता और परिस्थितिजन्य साक्ष्य को एक ठोस व सुसंगत साक्ष्य माना गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त द्वारा की गयी विचारण न्यायालय के दोषसिद्धी के निर्णय के विरूद्ध अपील निरस्त करते हुए विचारण न्यायालय का निर्णय सही पाया गया और अपील निरस्त कर दी गयी।

43– **धारा–6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम** में यह उपबन्धित है कि–

एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति–

(Relevency of facts forming part of same transactions)

"जो तथ्य विवाद्य न होते हुए भी किसी विवाद्यक तथ्य से उस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, व तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों।"

धारा–7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह उपबन्धित है कि–

वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं–

(Facts which are the occasion, cause or effect of facts in issue)

"वे तथ्य सुसंगत है, जो सुसंगत तथ्यों के, या विवाद्यक तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग, हेतुक या परिणाम है, या जो उस वस्तुस्थिति को गठित करते है, जिसके अन्तर्गत वे घटित हुए या जिसने उसके घटने या संव्यवहार का अवसर दिया।"

44– **धारा–106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम–**

विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार (Burden of proving fact especially within knowledge)– *जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।*

45– प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त द्वारा ही मृतक की हत्या की गई और हत्या के समय क्या अभियुक्त घटना स्थल पर उपस्थित था और घटना अभियुक्त की घृणित मानसिकता का परिणाम था?

अभियुक्त मृतक का बड़ा भाई है और उसका परिवार के प्रति व्यवहार व आचरण क्रूरतापूर्ण था। घटना के दिन भी मृतक के साथ अभियुक्त रहा है। घटना की तिथि दिनांक–26.04.2020 से अब तक इतने लम्बे समय अन्तराल तक अभियुक्त अपने भाई की हत्या किये जाने के बिन्दु पर मौन बना हुआ है और अभियुक्त का किसी बिन्दु पर मौन बने रहना यह साबित करता है कि अभियुक्त की कथित बिन्दु पर सहमति है और यदि खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाता है कि अभियुक्त ने ही घटना/हत्या की है। यदि अभियुक्त के अतिरिक्त घटना में कोई और व्यक्ति संलिप्त था तो अभियुक्त या उसके परिवार के सदस्य द्वारा उस व्यक्ति का नाम क्यों प्रकट नहीं किया गया? इससे यह साबित होता है कि अभियुक्त ने ही अपने छोटे भाई की हत्या की है।

46– प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा घटना दिनांक–26.04.2020 की है और दिनांक–27.04.2020 को मृतक की लाश बरामदगी की गयी है तथा मृतक की लाश का दिनांक–28.04.2020 को शव विच्छेदन किया गया है। मृतक अपने घर से दिनांक–26.04.2026 दिन में गायब होना तहरीर में लिखा गया है, जो कि अपने परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में था। अभियुक्त चूंकि अपने परिवार में मुख्य सदस्य है और उसको घटना के सभी तथ्य ज्ञात है और घर के कार्य में प्रयुक्त पन्नी की घटनास्थल से बरामद की गयी है तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या में घटनास्थल से बरामद वस्तुओं, मिट्टी, पैन्ट, पन्नी का घास पर मानव रक्त पाया गया है। घटनाक्रम की श्रृंखला में कोई अन्तराल नहीं है। अतः मामलें की परिस्थितियां यह प्रकट करती है कि अभियुक्त घटनास्थल पर मौजूद रहा है और मृतक की हत्या उसी के द्वारा की गयी है, अन्य कोई व्यक्ति अपराध में संलिप्त नहीं है। मृतक की शव विच्छेदन आख्या के अवलोकन से यह साबित होता है कि मृतक की **मृत्यु का तात्कालिक कारण गला घोटने के कारण दम घुटने से (Asphyxia due to Anti Mortem Throttling) था। मृतक की श्वास नली के पास बांयी हाइड बोन टूटी हुई पायी गयी, जिसमें Fractured With Hematoma पाया गया।** मृतक की उक्त शव विच्छेदन आख्या को चिकित्सक साक्षी द्वारा अपने बयानों में साबित किया गया है, जो कि इस मामलें में साक्ष्य की महत्वपूर्ण कड़ी है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत जी०डी० प्रदर्श क–15 में घटनास्थल से फील्ड यूनिट द्वारा मृतक के शव के पास से एक सफेद रंग की प्लास्टिक की पन्नी, बांस व घास के पत्तों पर रक्त के धब्बे पाये गये हैं और नक्शा नजरी घटनास्थल प्रदर्श क–6 में "A" स्थान घर के पास पीपल का पेड़, भट्टा परिसर के पास दर्शित किया गया है और नक्शा नजरी प्रदर्श–क–7 में "A" वह स्थान दर्शित किया गया है, जहां पर मृतक का शव पड़ा पाया गया है। घटनास्थल से मृतक के शव का स्थान अधिक दूरी पर नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा हत्या करके मृतक को थोड़ी दूरी पर लाकर छुपा दिया गया है। दोनों घटनास्थल अभियुक्त के संज्ञान में रहे है। उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण से यह स्थापित होता है कि मृतक की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई है, बल्कि चोटें के कारण विषम परिस्थितियों में हुई है। घटना की प्रत्येक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई अन्तराल नहीं है। खण्डन

में अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जा सके।

47– अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य है, खण्डन में अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस मामलें में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा चिकित्सीय साक्ष्य अधिक सुसंगत और विश्वसनीय है, जो कि घटना की प्रत्येक साक्ष्य कड़ी को जोड़ता है, तद्नुसार अभियुक्त आरोपित आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

48– इस प्रकार उभयपक्ष के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अभियोजन अपने कथानक को अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है, तद्नुसार अभियुक्त आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा–302, 201 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध किया जाता है। आज अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त के जमानत बन्ध–पत्र निरस्त किये जाते है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को दण्ड के बिन्दु पर आज ही सुने जाने की याचना की गई है। अतः दण्ड के बिन्दु पर वाद में विलंब न करते हुए आज ही सुन लिया जाये। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा भी उक्त कथन का समर्थन करते हुए दण्ड के बिन्दु पर आज ही सुनवाई किये जाने की याचना की गई, चूंकि मामला गम्भीर प्रकृति का है। अतः उभयपक्ष की याचना पर अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच उपरान्त पेश हो।

दिनांक–31.03.2026

(राजेश कुमार–III)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03,गोण्डा।
JO Code UP-5962

49– पत्रावली लंच बाद पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को अभियुक्त के दण्ड के बिन्दु पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

50– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त पढ़ा लिखा नहीं है, अभियुक्त की उम्र 25 वर्ष है तथा परिवार में उसके पिता नहीं है, माता वृद्ध व बीमार है, दो छोटे–छोटे भाई है। मृतक को मारते हुए किसी ने नहीं देखा है। मृतक अभियुक्त का छोटा भाई है। अभियुक्त गरीब व मजदूर व्यक्ति है। अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है उसके विरूद्ध पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है। उसके विरूद्ध यह मुकदमा झूँठा रंजिशन व राजनीतिक प्रभाव में लिखाया गया है। अभियुक्त राजनीतिक कार्य से

दूर रहते हैं और अपना जीवनयापन मजदूरी करके व्यतीत करते हैं। उसके परिवार में कोई और कमाने वाला नहीं है। उसका अकेला परिवार है, जिसमें वह खुद कमाने वाला है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसके परिवार में जीवकोपार्जन का कोई पर्याप्त साधन नहीं है। अभियुक्त को दुर्भाग्यवश इस मुकदमें में रंजिशन फंसा दिया गया हैं। अभियुक्त भविष्य में सद्आचरण बनाये रखेंगा। अभियुक्त पूर्व में सजायाफ्ता नहीं है, इस मुकदमें में अभियुक्त पहले भी जेल में रह चुका है, उसके भाई की हत्या किसी और व्यक्ति ने की है, उसने हत्या नहीं की है, जेल जाने से उसका परिवार बिखर जायेगा, उसके परिवार की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। उसकी माता वृद्ध और बीमार रहती है। अतः अभियुक्त की पारिवारिक स्थिति पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कम–से–कम सजा से दण्डित किया जाये अथवा अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि पर रिहा कर दिया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अभियुक्त द्वारा अपने सगे भाई की हत्या गला घोंटकर हत्या की गयी है तथा अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पत्रावली पर अभियुक्त के छोटे भाई/मृतक की शव विच्छेदन आख्या मूल रूप में उपलब्ध है, जिसमें मृतक की मृत्यु गला घोंटे जाने से दम घुटने के कारण हुई है तथा उसका हाइड बोन भी टूटा हुआ पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि घटना के समय मृतक का जोर से गला दबाया गया है यह स्थिति अत्यधिक बल लगाकर गला दबाने से ही आ सकती है, जिसके लिए अभियुक्त ही जिम्मेदार है, अन्य और कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। घटना के सभी गवाह अप्रत्यक्ष रूप से घटना को साबित करते है और सभी चिकित्सीय प्रपत्र चिकित्सक साक्षी द्वारा साबित कराये जा चुके है। अभियुक्त को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जा चुका है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक कठोर दण्ड दिया जाये।

51– सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध उभयपक्ष के साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध समाज के प्रति घृणित और गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त की पारिवारिक स्थिति दयनीय कहा गया है। अभियुक्त का अपराध अति गम्भीर प्रकृति का है, जो कि विरल से विरलतम मामलों की श्रेणी में आता है। अभियुक्त द्वारा अपने सगे छोटे भाई की क्रूरतापूर्वक वीभत्स तरीके से हत्या करके समाज के प्रति घृणित अपराध किया है। अभियुक्त को परिवीक्षा काल अथवा जेल में बितायी गयी अवधि पर छोड़ा जाना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। अभियुक्त को दण्डित किये जाने से न्याय की उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

52– उभयपक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा–302, 201 भारतीय दण्ड संहिता में दोषी पाते हुए, निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा–

आदेश

53– दोषसिद्ध अभियुक्त **राज कपूर उर्फ कपूरे** को अन्तर्गत **धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता** में **सश्रम आजीवन कारावास** तथा मु०–50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास अभियुक्त को भुगतना होगा।

54– दोषसिद्ध अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत **धारा–201 भारतीय दण्ड संहिता** में 03 वर्ष (तीन वर्ष) का कारावास तथा मु०–20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त की सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

अभियुक्त का सजायाबी वारंट बनाया जाकर जिला कारागार अधीक्षक को आदेश के अनुपालनार्थ प्रेषित किया जाये।

माल मुकदमा बाद मियाद अपील अवधि नियमानुसार विनिष्ट किया जाए।

अभियुक्त को आदेश/निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाए।

दिनांक–31.03.2026

(राजेश कुमार–III)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03,गोण्डा।
JO Code UP-5962

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–31.03.2026

(राजेश कुमार–III)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03,गोण्डा।
JO Code UP-5962